कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड (रा0मा0), लो0नि0वि0,
सुलतानपुर

पत्रांकः /2ए/2014 दिनांकः

शुद्धि पत्र

इस कार्यालय के पत्रांक–1477/2ए/14 दिनांक 20.11.2014 के द्वारा आमंत्रित नीलामी सूचना के कालम 8 में नीलामी प्रपत्र का कुल मूल्य धनराशि रू0 5705.00 के स्थान पर (a) स्टेशनरी चार्ज–रू0 5000.00 (b) निविदा लागत–रू0 300.00+13.50% व्यापार कर धनराशि–रू0 41.00 कुल मूल्य धनराशि रू0 5341.00 पढ़ा जाय।

नीलामी की शेष शर्तें पूर्ववत रहेगीं।

ह0
(धर्मवीर सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड (रा0मा0), लो0नि0वि0,
सुलतानपुर।

पत्रांकः 1532/2ए/2014 दिनांकः 8/12/14

प्रतिलिपि निम्नलिखित को नीलामी सूचना पत्रांक 1477/2ए/2014 दिनांक 20.11.2014 के अनुक्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. आयुक्त महोदय, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।
2. संयुक्त सचिव महोदय, लो0नि0 अनुभाग–2/12, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख अभियन्ता महोदय, उ0प्र0, लो0नि0वि0, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता महोदय, (रा0मा0)/फैजाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, लखनऊ/फैजाबाद।
5. अधीक्षण अभियन्ता महोदय, क्षेत्रीय कार्यालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, (भारत सरकार), रिंग रोड निकट बायोटेक चौराहा, विकासनगर, लखनऊ।
6. अधीक्षण अभियन्ता महोदय, रा0मा0 वृत्त, लो0नि0वि0, लखनऊ/सुलतानपुर/अमेठी वृत्त, लो0नि0वि0, सुलतानपुर।
7. जिलाधिकारी महोदय, सुलतानपुर।
8. जिलाधिकारी महोदय, फैजाबाद/रायबरेली/बाराबंकी।
9. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि., सुलतानपुर/फैजाबाद/अमेठी।
10. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–3, पी.एम.जी.एस.वाई. खण्ड–1, लो0नि0वि0, सुलतानपुर।
11. अधिशासी अभियन्ता, आई0डी0एस0 सेल, मुख्य अभियन्ता (रा0मा0), लो0नि0वि0, लखनऊ को विभागीय बेवसाइट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।
12. समस्त सहायक अभियन्ता/वरिष्ठ प्रभागीय लेखाधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी/कैशियर।
13. नोटिस बोर्ड।
14. ठेकेदार संघ, जनपद–सुलतानपुर।

(धर्मवीर सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0(रा0मा0), लो0नि0वि0,
सुलतानपुर

1532.jpg

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड (रा0मा0), लो0नि0वि0,
सुलतानपुर

पत्रांकः 1477/2ए/2014 दिनांकः 20 नवम्बर, 2014

सार्वजनिक नीलामी सूचना

उ0प्र0 के राज्यपाल महोदय की ओर से सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद–फैजाबाद में **राष्ट्रीय मार्ग सं0–330 के किमी0 128 में तमसा नदी पर स्थित पिपरी सेतु पर वित्तीय वर्ष 2015–2016 से 2017–18** (तीन वर्षो के लिए) तक पथकर वसूली के लिए सार्वजनिक नीलामी **दिनांक 30.01.2015** को अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा जिलाधिकारी के कार्यालय में जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अपर जिलाधिकारी, सुलतानपुर की उपस्थिति में अपरान्ह 1:00 बजे से की जायेगी। नीलामी की कार्यवाही सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0: सा.का.नि. 490(अ) दिनांक 27.08.1997 एवं संशोधित अधिसूचना संख्याः सा.का.नि. 877(अ) दिनांक 04.12.2001 तथा पत्रांक आर.डब्लू./एन.एच. 11012/2/2000–यू.एस. (डी.आई.) दिनांक 14.07.2000 एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.01.2011 द्वारा जारी नियमों, शर्तो एवं निर्धारित दरों पर की जायेगी। मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार पथकर वसूली कम्प्यूटर चालित वैरियर पद्धति से की जायेगी।

नीलामी की बोली आयुक्त महोदय, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद द्वारा स्वीकृत की जायेगी। इस संबंध में उनका निर्णय अन्तिम होगा। मण्डलायुक्त महोदय किसी भी एक बोली को अथवा सभी बोलियों को बिना किसी कारण बताये अस्वीकार करने में सक्षम होगें। नीलामी की समाप्ति की घोषणा होने के बाद प्राप्त होने वाले (Offer) अथवा निगोशिएशन पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा।

क्र0 सं0	सेतु का नाम	नीलामी की तिथि	धरोहर धनराशि	शुल्क उगाही का कार्यकाल	हैसियत की धनराशि	नीलामी की वैधता	नीलामी प्रपत्र का मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	रा0मा0–330 इलाहाबाद–फैजाबाद मार्ग के किमी0 128 में तमसा नदी पर स्थित पिपरी सेतु पर पथकर वसूली का कार्य।	30.01.2015 अपरान्ह 1:00 बजे से	रू0 30.00 लाख	दिनांक 01.04.2015 या पट्टा गठित होने की तिथि से 31.03.2018 तक	रू0 5.50 करोड	3 माह	(a) स्टेशनरी चार्ज–रू0 5000.00 (b)निविदा लागत–रू0 300.00 + 13.50% व्यापार कर (धनराशि–रू0 405.00) कुल धनराशि रू0 5705.00

विस्तृत नियम एवं शर्ते नीलामी प्रपत्रों में अंकित होगी तथा इस संबंध में आवश्यक जानकारी अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में दिनांक **05.01.2015** से **15.01.2015** तक प्राप्त की जा सकती है।

विशेष शर्ते/विवरण निम्नलिखित हैं, जिसका नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म को पालन करना होगा।

1. बोली बोलने हेतु निर्धारित प्रपत्र एवं शर्ते मुख्य अभियन्ता, रा0मा0, लो.नि.वि., लखनऊ/ अधीक्षण अभियन्ता, रा0मा0 वृत्त, लो.नि.वि., लखनऊ/जिलाधिकारी, सुलतानपुर एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से **दिनांक 25.12.2014 से 27.01.2015** तक किसी भी कार्य

क्रमशः ....

1532A.jpg

दिवस में प्रातः 11:00 बजे से सांय 4:00 बजे तक निर्धारित धनराशि नकद के रूप में जमा कर प्राप्त किए जा सकते हैं।

2. नीलामी से संबंधित अभिलेख दिनांक **28.01.2015** को प्रातः 10:00 बजे से 3:00 बजे तक मुख्य अभियन्ता, रा0मा0, लो0नि0वि0, लखनऊ/अधीक्षण अभियन्ता, रा0मा0 वृत्त, लो0नि0वि0, लखनऊ व जिलाधिकारी, सुलतानपुर एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में रखे टेण्डर बाक्स में डाले जायेगें। जो दिनांक **29.01.2015** को उपस्थित ठेकेदारों/अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष जिलाधिकारी, सुलतानपुर के कार्यालय में खोले जायेगें तथा प्राप्त अभिलेखों को सूचीबद्ध किया जायेगा। अभिलेखों की जांचोपरान्त नीलामी में भाग लेने वाले पात्र व्यक्तियों के नाम की सूची अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में सूचनापट पर दिनांक **29.01.2015** के 4:00 बजे अपरान्ह तक लगा दी जायेगी।

3. नीलामी की कार्यवाही दिनांक **30.01.2015** को 1:00 बजे अपरान्ह से प्रारम्भ की जायेगी।

4. नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति/फर्म को गृह जिले के जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा। किसी अन्य अधिकारी द्वारा निर्गत अथवा प्रतिहस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला चरित्र प्रमाण पत्र तथा हैसियत प्रमाण पत्र शासनादेश सं0 6738/23–7–2006–176 (सा0)/06 दिनांक 05.01.2007 के अनुसार निर्धारित प्रारूप क्रमशः टी–4 (T-4) चरित्र प्रमाण पत्र तथा टी–5 (T-5) हैसियत प्रमाण पत्र न्यूनतम रू0 5.50 करोड पर मान्य होगें तथा उनकी वैधता निर्गमन की तिथि से दो वर्ष की होगी। उक्त प्रपत्र मूल रूप में संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

5. जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी द्वारा निर्गत अदेयता प्रमाण पत्र (No Dues Certificate) संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

6. धरोहर धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंकों/शिड्यूल्ड बैंकों के एफ0डी0आर0/राष्ट्रीय बचत पत्र/ डाकघर बचत खाता, पासबुक जो अधोहस्ताक्षरी के पद नाम से बंधक हो, स्वीकार की जायेगी।

7. किसी फर्म सोसाईटी को अपने फर्म के रजिस्ट्रेशन के प्रपत्र मूल रूप में प्रस्तुत करने होगें। इसके अतिरिक्त फर्म/सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के समय एवं वर्तमान में साझेदारी की स्थिति के बारे में सक्षम अधिकारी (रजिस्ट्रेशन कार्यालय) द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8. ठेकेदार को तकनीकी बिड डाक्यूमेन्ट के साथ रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना होगा कि पथकर वसूली हेतु भारत सरकार पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली के परिपत्र आर.डब्लू./एन. एच. 1012/2/2000–यू.एस. (डी.आई.) दिनांक 14.07.2000 के अनुसार कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटर एक्टिवेटेड वैरियर स्थापित तथा मेनटेन किया जायेगा तथा उसी से टाल कलेक्शन किया जायेगा।

9. ठेकेदार को तकनीकी बिड डाक्यूमेन्ट के साथ रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित फार्म पी0डब्लू0डी0 टी–6 (T-6) प्रपत्र पर शपथ पत्र मूल में संलग्न करना होगा।

10. आयकर का PAN कार्ड की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना होगा।

11. फर्म की स्थिति में हैसियत प्रमाण पत्र फर्म के नाम होना चाहिए। महानिरीक्षक निबन्धन के पत्रांक 501/शि0का0 लख0/2003, दिनांक 27.02.2003 के अनुसार फर्म के अलग–अलग साझेदारों की हैसियत मान्य नहीं होगा।

क्रमशः ....

12. प्रत्येक बोली बोलने वाले व्यक्ति/फर्म को रू0 100.00 के स्टाम्प पर रू0 1.00 के रसीदी टिकट सहित इस आशय का अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा कि वह नीलामी वैधता अवधि में अपनी बोली वापस नहीं लेगा। यदि वह ऐसा करता है तो उसके द्वारा जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

13. स्थाई एवं वर्तमान पता तथा पत्र व्यवहार के लिए स्थानीय पता का प्रमाण पत्र (जो प्रथम श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित हो) नीलामी प्रपत्रों के साथ जमा करना होगा।

14. पासपोर्ट साइज के तीन फोटो तथा हस्ताक्षर के तीन नमूने, जो प्रथम श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, संलग्न होना चाहिए।

15. पथकर वसूली का अदेयता प्रमाण पत्र (जहाँ–जहाँ ठेकेदार द्वारा पथकर वसूली किया जा रहा है वहाँ–वहाँ से संबंधित अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रदत्त) नीलामी प्रपत्रों के साथ जमा करना होगा।

16. निम्नलिखित आशय का शपथ पत्र, जो नोटरी द्वारा सत्यापित हो मूल में संलग्न होना चाहिए।

"मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा संलग्न किए गये समस्त अभिलेख एवं सूचनाएं मेरे ज्ञान एवं विवेक के अनुसार सत्य एवं प्रमाणित है। नीलामी तथा पथकर वसूली संबंधी सभी शर्तो को मैंनें भली–भांति अध्ययन कर लिया है व समझ लिया है और उनका पूर्णतया पालन करने को मैं वचनबद्ध हूँ।"

17. उक्त वर्णित तिथि में से किसी भी तिथि को यदि किसी कारणवश अवकाश घोषित हो जाता है तो प्रस्तावित कार्य स्वतः ही उसके अगले कार्य दिवस को किया जायेगा।

18. पथकर मासिक किश्त के साथ आयकर किश्त प्रतिमाह जमा करना अनिवार्य होगा।

(धर्मवीर सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड (रा0मा0), लो0नि0वि0,
सुलतानपुर।

1532C.jpg